

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला - रायपुर (छ.ग.)

Office E-mail - birgaonncp@gmail.com वेबसाइट www.nagarnigambirgaon.com

क्रमांक / / राजस्व / न.पा.नि. / 2019

बीरगांव, दिनांक / 2019

—00—
आमंत्रण सूचना / /

निगम क्षेत्रांतर्गत बांधा तालाब उरला., संधवार तलाब उरला., जोगी डबरी उरला., विरईन तलाब अछोली, राजा तालाब रावांगावा एवं दत्तेश्वरी तालाब खदान को वित्तीय वर्ष 2019-20 से आगामी दस वर्षीय लीज पर दिया जाना है। अतः पात्र पंजीकृत प्राथमिक सहकारी समिति / मछुआ समूह / मछुआ व्यक्ति एवं अन्य अपना आवेदन (तालाब लीज हेतु) दर निर्धारित प्रारूप में दिनांक 08.10.2019 दिन बुधवार समय सायं 05.00 बजे तक आवेदन शुल्क रु. 500.00 (पाँच सौ रु. मात्र) सहित राजस्व शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

तालाब लीज राशि संबंधित जानकारी एवं अन्य नियम शर्तें कार्यालय के वेबसाइट एवं सूचना फलक में देख सकते हैं।

पृ.क्रमांक /1669 / राजस्व / न.पा.नि. / 2019

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
बीरगांव, दिनांक 26.10.2019

1. निज सहायक, नान. महापौर / सभापति नगर पालिक निगम बीरगांव को सादर सूचनार्थ ।
2. महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित राज्य स्तरीय दैनिक सामाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु प्रेषित करने का कट करेगे।
3. कलेक्टर, कार्यालय जिला - रायपुर (छ.ग.) के सूचना फलक पर चर्या हेतु।
4. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रायपुर / कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव के सूचना फलक पर चर्या हेतु।
5. सस्य विभाग, जिला - रायपुर के सूचना फलक पर चर्या हेतु।
6. विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ संप्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

वर्ष 2019-20 की स्थिति में लीज पर दिये जाने हेतु

क्र.	तालाब का नाम	रकबा	प्रस्तावित लीज राशि (रु.में)	आवेदन शुल्क राशि (रु. में)
1	बांधा तालाब उरला	2.096	3993.00	500.00
2	सैधवार तालाब, उरला	0.922	2766.00	500.00
3	जोगी डबरी उरला	15.127	45300.00	500.00
4	बिरईन तालाब, अछोली	0.862	2886.000	500.00
5	राजा तालाब, रावांभाठा	5.320	15907.00	500.00
6	दंतेश्वरी तालाब (खदान) रावांभाठा	1.416	4248.00	500.00
नोट	लीज राशि प्रत्येक वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।			

शासन के आदेश क्रमांक 11-02/36/202/985-986 रायपुर दिनांक 24.03.2003 द्वारा जारी मछली पालन निति (1) कंडिका 2.1 द्वारा समिति (सामान्य क्षेत्र में डीमर, निषाद, केवट, कहार, क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति सहकारी समिति को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वर्ग के मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता) होगी।

आयुक्त
रामार पालिक निगम बीरगांव